

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केंद्र दीगोद जिला कोटा (राज0)

मूल वाद म डिक्री

1- रुकमणी बाई पत्नी श्री भंवरलाल पुत्री प्रभूलाल जाति माली निवासी गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

उनवान

( वादीनी )

बनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

( प्रतिवादी )

वादीनी की ओर से - श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती  
मिसल नं 170/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - : वादीनी का वाद पत्र स्वीकार जाता है कि ग्राम नोहती तहसील दीगोद में खाता सं0 163 एवं ग्राम पौलाई कला के खाता सं0 310 में वादीनी का नाम भूलीबाई पुत्री प्रभूलाल के स्थान पर रुकमणी बाई पुत्री दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपयें	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा					
स्टाम्प वजूह	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
सबूत					
महन्ताना	0	0	महन्ताना	0	0
वकील			वकील		
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय	0	0	बबत इजराय	0	0
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा



13 <sup>8</sup>/<sub>2</sub>

# राष्ट्रीय लोक अदालत केमप डीगोड

क्रि.नं. 170/21

निर्णय दि० 13-8-22

पञ्जावली द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत केमप डीगोड में पेश की गयी पञ्जावली उपस्थित थी अतः वादी अपि वकील की पुत्री गयी। राजस्व विभाग का दस्तावेज किताब गणना वकील का वाद पत्र स्वीकार होने के बाद ही निर्णय किया गया।

रकमणी वार्ड बनाम राजस्व विभाग

संक्षेप में उक्त बात है कि गुरु नोदली तहसील डीगोड में (खाना संख्या 163 में ख.नं. 162 रकबा 2.84 है और तथा गुरु पौलाई कला तहसील डीगोड में खाना सं. 310 में (ख.नं. 225 रकबा 1.24 है, ख.नं. 250 रकबा 2.86 है, ख.नं. 384 रकबा 2.22 है, ख.नं. 469 रकबा 0.05 है, ख.नं. 522 रकबा 0.44 है, किला 5 रकबा 6.81 है, भूमि की हाल गणवती राजस्व विभाग में पादिना का नाम भूली वार्ड पुत्री प्रमूलाल के स्थान पर रकमणी वार्ड पुत्री प्रमूलाल नाम में दर्ज किये जाने से वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि परिवारी कि तलवी विधिवत का वार्ड बनाम अनाज सरकार लिखा गया। तहसील डीगोड में पञ्जावली अ.अ./22/ 3185 दिनांक 8-8-22 से अनाज सरकार के स्थान पर लिखा है कि भूली वार्ड व रकमणी वार्ड एक ही महिला है। भूली वार्ड के स्थान पर रकमणी वार्ड दर्ज करने की अनिश्चितता की गयी है।

अतः वादी अपि वकील गयी। राजस्व विभाग एवं अनाज सरकार का दस्तावेज किताब गणना। वादी वकील वाद पत्र स्वीकार किताब गणना डीगोड में खाना सं. 163 एवं गुरु पौलाई कला के खाना सं. 310 में पादिनी का नाम भूली वार्ड पुत्री प्रमूलाल के स्थान पर रकमणी वार्ड पुत्री प्रमूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व विभाग में अनाज दस्तावेज किताब गणना पञ्जावली के अनाज विभाग को भेजा है।

निर्णय द्वारा दिनांक 13-8-22 को अनाज लोक अदालत केमप डीगोड में प्रकाशित किया।

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
डीगोड जिला कोटा

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
डीगोड जिला कोटा

अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
डीगोड जिला कोटा